रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 29] नई दिल्ली, सितम्बर 10—सितम्बर 16, 2017, शनिवार/भाद्र 19—भाद्र 25, 1939

No. 29] NEW DELHI, SEPTEMBER 10—SEPTEMBER 16, 2017, SATURDAY/BHADRA 19—BHADRA 25, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश

Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2017

का.नि.आ. 69.—केन्द्र सरकार, प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 (1948 का 56) की धारा 14 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रादेशिक सेना नियम, 1948 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: -

1. (i) लघु शीर्षक एवं प्रारंभ -इन नियमों को प्रादेशिक सेना (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।

   (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख़ से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रादेशिक सेना नियम, 1964 में, नियम-14 में खंड (ग) में सारणी में "रैंक" शीर्षक के अंतर्गत "लेफ्टिनेंट कर्नल/कर्नल" अक्षरों और शब्दों के लिए, "लेफ्टिनेंट कर्नल/कर्नल/कर्नल (समय-वेतनमान)" अक्षरों, शब्दों एवं कोष्ठकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 46347/संशोधन/आर-14/टीए-4]

एम.पी. सिंह, अवर सचिव

पाद टिप्पणी – मूल नियम भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड-4 में दिनांक 12 फरवरी, 1949 के का.नि.आ. 252क द्वारा जारी किए गए थे और दिनांक 10 मार्च, 2010 के का.नि.आ.15 द्वारा विगत में संशोधित किया गया।

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Group 'C' Posts (Multi Tasking Staff) Recruitment Rules, 2014,-

A. in rule 2, for the words " pay band and grade pay or pay scale" occurring at both the places, the words " the level in the pay matrix" shall be substituted.

B. in the Schedule ,-

(a) in column (1), for the entry the following entry shall be substituted, namely:-

"Multi Tasking Staff (Record Keeper, Daftry, Peon, Watchman, Lascar and Safaiwala)";

(b) in column (4),-

(i) for the heading, heading "Level in the pay matrix"shall be substituted;

(ii) for the entry, the entry "Level -1 (Rs 18000-56900)"

shall be substituted.

[F. No.2523/RRs/MTS/DGAQA/ADM- II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

Note:- The Principal rules were published in the Gazette of India, Part II Section 4, dated 22 Feb 2014, vide S.R.O-12 dated 13 Feb 2014.

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2017

का.नि.आ.73.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और तटरक्षक विधि सहायक भर्ती नियम, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन तटरक्षक संगठन में विधि सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

(1) **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, तटरक्षक संगठन (विधि सहायक) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि:-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्र सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्तिः-** जहां केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्तिः-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विधि सहायक	01 * (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर – 7 44900-142400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन	**प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)** केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कानूनी या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूलकाडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूलकाडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-6 में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है:- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री (ii) अर्हित विधि व्यवसायी के रूप में दो वर्ष का अनुभव **टिप्पण 1:** इस खंड के संबंध में "अर्हित विधि व्यवसायी" से ऐसा अधिवक्ता या प्लीडर

	अभिप्रेत है जिसने उस रूप में कम से कम 2 वर्ष व्यवसाय किया हो तथा सेवा विधियों से संबंधित मामलों का निपटारा किया हो। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियोजन** ऐसे सशस्त्र बल कार्मिकों, जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-6 में थलसेना, नौसेना या वायुसेना के मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर या चीफ पेटी ऑफिसर का रैंक धारण किया हुआ है और जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री है, और जो एक वर्ष के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित होने वाले हैं पर भी विचार किया जाएगा और यदि उनका चयन हो जाता है तो ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति निबंधन दिए जाएंगे, जो सशस्त्र सेना बलों से निर्मुक्त होने वाले हैं, तत्पश्चात वे पुनर्नियोजन के निबंधनों पर बने रहेंगे। यदि ऐसे पात्र अधिकारी पद पर वास्तविक चयन किए जाने से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं या रिजर्व में स्थानांतरित हो गए हैं तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन आधार पर होगी। (सिविल पद की बाबत पुनर्नियोजन अधिवार्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुनर्नियोजित सशस्त्र बल कार्मिकों की पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i) उपमहानिदेशक (एच आर डी), तटरक्षक मुख्यालय - अध्यक्ष (ii) मुख्य विधि अधिकारी, तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य (iii) निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय - सदस्य	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. सी पी/0601/विधि सहायक/130/डी(सीजी)/2017]

सुधीर बाबू मोटाना, अवर सचिव

New Delhi, the 7th September, 2017

S.R.O.73.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Coast Guard Organisation (Legal Assistant) Recruitment Rules, 2013, except as respects of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Legal Assistant in the Coast Guard Organisation under the Ministry of Defence, namely:—

1. **Short title and commencement**. - (1)These rules may be called the Ministry of Defence, Coast Guard Organisation (Legal Assistant) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.** - The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification, etc.**- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of posts	Classification	Level in the pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Legal Assistant	1*(2017) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, (Group 'B') Gazetted, Non-Ministerial	Level-7, Rs.44900	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment**: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years for Armed Forces personnel re-employed	Deputation (including short term contract) For Armed Forces Personnel: Deputation or re-employment

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract) Officers under the Central Government or State Government or Union territory administration or Universities or recognised Research Institutions or Public Sector Undertakings or statutory or autonomous organisations:- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-6 in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- (i) Degree in Law from a recognised University; (ii) two years experience as a qualified legal practitioner. **Note 1:** The term "Qualified legal practitioner" in relation to this clause means an Advocate or a Pleader who has practiced as such for at least two years and should have dealt with cases relating to service laws. **Note 2:** Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post, held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. **For Armed Forces Personnel: Deputation or Re-employment:** The Armed Forces personnel holding the rank of Master Chief Petty Officer or Chief Petty Officer in the Army, Navy or Air Forces in the level-6 in the pay matrix and possessing degree in law from a recognised University who are due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year shall also be considered and if selected, such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation of re-employed Armed Forces Personnel) consisting of :** 1. Deputy Director General (HRD), Coast Guard Headquarters - Chairman 2. Chief Law Officer, Coast Guard Headquarters – Member 3. Director (Personnel), Coast Guard Headquarters - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

from the Armed Forces; thereafter they may be continued on re-employment terms. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis. (Re-employment upto the age of superannuation in respect of civil post).		

[F.No. CP/0601/Legal Assistant/130/D(CG)/2017]

SUDHEER BABU MOTANA,Under Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.09.21 19:48:52 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.